VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(11 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- विपक्षी दलों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश
- भारत-रूस की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी
- साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नए खतरे: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विपक्षी दलों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश:

चर्चा में क्यों है?

- विपक्षी दलों ने 10 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई है।

- विपक्षी दलों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दिया गया नोटिस संसदीय प्रक्रिया को गति देने की बजाय एक प्रतीकात्मक बयान देने जैसा प्रतीत होता है।
- क्योंकि विपक्ष दलों के पास पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण कोई परिणाम मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार, अगर सदन में प्रस्ताव लाया जाता है और विपक्ष की शिकायतों पर बहस होती है, तो उपराष्ट्रपति धनखड़ के लिए राज्यसभा में उन कार्यवाही की अध्यक्षता करना कठिन होगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत, उपराष्ट्रपति "राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे"। चूँकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एक ही व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी एक ही है - और अनुच्छेद 67 के तहत निर्धारित की गई है।
- अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के तहत, उपराष्ट्रपति "अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे" जब तक कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र भेजकर उससे पहले इस्तीफा न दे दें, या पद से हटा न दिए जाएँ।
- उपराष्ट्रपति को हटाने या महाभियोग लगाने की आवश्यकता अनुच्छेद 67(b) के तहत प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि "परिषद (राज्य सभा) के सभी तत्कालीन सदस्य" बहुमत से उनके हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, जिस पर तब लोकसभा द्वारा "सहमति" होनी चाहिए।
- इस प्रावधान के तहत, "कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस न दिया गया हो"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

महाभियोग के लिए नोटिस दिए जाने के बाद क्या होता है?

- 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर, राज्यसभा चर्चा के लिए प्रस्ताव पर विचार करेगी। उसके बाद अनुच्छेद 67(b) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट नहीं है कि सदन द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला है, जो 14 दिन से भी कम समय दूर है।
- यह निर्धारित करने के लिए कोई मिसाल नहीं है कि सदन के अगले सत्र में इसी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है या नहीं।
- किसी भी मामले में, संसद में अंकगणित को देखते हुए, यह लगभग तय है कि प्रस्ताव गिर जाएगा।

उपराष्ट्रपति का पद और उनका चुनाव:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 (1) में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में, उपराष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति कार्यपालिका का हिस्सा होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का हिस्सा होता है। इस प्रकार उसके पास दोहरी क्षमता होती है और वह दो अलग-अलग और पृथक पद धारण करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया:

- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, तो माना जाता है कि उसने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तिथि से उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है।
- कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में तब तक निर्वाचित नहीं हो सकता जब तक कि वह -

  ➢ भारत का नागरिक न हो;

  ➢ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और

  ➢ राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य न हो।

  ➢ वह व्यक्ति भी पात्र नहीं है जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत-रूस की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी:

चर्चा में क्यों है?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान रूस के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और भारत-रूस साझेदारी की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "भू-राजनीतिक चुनौतियों और भारत पर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भारी दबाव के बावजूद, भारत ने एक सचेत निर्णय लिया है कि भारत न केवल रूस के साथ घनिष्ठ संपर्क जारी रखेगा बल्कि अपने संपर्क को गहरा और विस्तारित भी करेगा"।

- प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुभकामनाएं देते हुए रक्षा मंत्री ने रूस के लिए भारत के दीर्घकालिक समर्थन को दोहराया। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति से कहा कि "हमारे देशों

के बीच दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है"।

विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी:

- सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-M&MTC) की बैठक पर टिप्पणी करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि "द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा करते हुए, हमने दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। हम भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं"।
- उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत-रूस संबंध बहुत मजबूत हैं, और एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की जिम्मेदारियों को पूरा किया है।
- भारत अपने घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमताओं को सभी क्षेत्रों और औद्योगिक सहयोग में विस्तारित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं में रूसी उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर जोर दिया।

रक्षा सौदे में देरी का मुद्दा:

- फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस के युद्ध की शुरुआत के बाद से कई प्रमुख रक्षा सौदों - जिसमें S-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और क्रिवाक श्रेणी के

स्टील्थ फ्रिगेट की डिलीवरी, साथ ही पुर्जों और घटकों की आपूर्ति शामिल है - में काफी देरी हुई है।

- राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में रक्षा मंत्री ने S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी में देरी का मुद्दा उठाया और अनुरोध किया कि उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए। रूस ने 2025 में शेष दो S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी करने का आश्वासन दिया है।
- उल्लेखनीय है कि रूस पहले ही S-400 प्रणाली की तीन रेजिमेंटों की आपूर्ति कर चुका है, और शेष दो इकाइयां भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही 9 दिसंबर को कैलिनिनग्राद में कमीशन किया गया INS तुशील रूस में भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन दो स्टील्थ फ्रिगेट में से पहला है। INS तमाल, दूसरा फ्रिगेट जो अगले साल की शुरुआत में भारत को मिलने की उम्मीद है।
- भारत द्वारा पट्टे पर ली गई और अब निर्माणाधीन एक परमाणु हमलावर पनडुब्बी (SSN), चक्र-III भी भारत की वर्तमान आधुनिकीकरण योजना को देखते हुए रूस से आयात की जाने वाली आखिरी पनडुब्बी हो सकती है।

भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों की विशेषताएं:

- रूस भारत का दीर्घकालिक और समय-परीक्षित साझेदार रहा है। भारत-रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। अक्टूबर 2000 में

राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान "भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा" पर हस्ताक्षर करने के बाद से, भारत-रूस संबंधों ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के बढ़े हुए स्तरों के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र प्राप्त किया है।

- दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, रणनीतिक साझेदारी को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़ा दिया गया। दिसंबर 2021 में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर-स्तरीय वार्ता के साथ-साथ पहली 2+2 वार्ता (दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री) के साथ द्विपक्षीय सहयोग में एक नया आयाम जोड़ा गया।

भारत और रूस के बीच वर्तमान संबंधों में कुछ प्रमुख पहलू:

पेट्रोलियम ऊर्जा सुरक्षा:

- भारत को रियायती रूसी कच्चे तेल तक पहुँच से काफी लाभ होता है, जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले भारत के कुल आयात के 2 प्रतिशत से भी कम से बढ़कर जून 2024 में 40 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
- भारतीय कंपनियों को परिष्कृत रूसी तेल उत्पादों के निर्यात से भी लाभ हुआ है, जिनमें से कुछ पश्चिमी बाजारों में भी पहुंच गए हैं।

परमाणु क्षेत्र में सहयोग:

- ऊर्जा सहयोग में परमाणु क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है, जहाँ एक मज़बूत ऐतिहासिक आधार है। जब भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो सोवियत संघ ने अमेरिका के विपरीत, भारत के साथ सहयोग करने से परहेज नहीं किया था।
- अमेरिका की तुलना में, रूस भारत के नागरिक परमाणु दायित्व कानून को बेहतर तरीके से लागू करने में भी सक्षम रहा है, जिसे 2010 में लागू किया गया था। फरवरी 2024 में, भारत और रूस ने कुडनकुलम में छह असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए एक समझौते को उन्नत किया।

रक्षा सहयोग का क्षेत्र:

- भारत के सेवारत सैन्य साजोसामान में रूस का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है। भारत रूसी हथियारों के निर्यात का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी है, जिसमें S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली भी शामिल है।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे कई प्लेटफॉर्म का संयुक्त उत्पादन हुआ है, जिसे फिलीपींस से शुरू करके अन्य देशों को निर्यात किया गया है।
- रूस कई वर्षों से भारत के लिए पसंदीदा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, क्योंकि वह अंतिम उपयोगकर्ता की बाधाओं के बिना उचित मूल्य पर हथियार उपलब्ध कराता

है, तथा अक्सर संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति करने में सक्षम होता है, जो अन्य देश नहीं कर पाते हैं।

आर्थिक क्षेत्रों में संबंध:

- इसके अलावा, दोनों देशों के बीच लंबे समय से आर्थिक संबंध भी हैं। भारत और रूस का लक्ष्य इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को 68 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है।
- कनेक्टिविटी पहलों में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) शामिल हैं।

लोगों के बीच आपसी संपर्क:

- दोनों देशों के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क और पर्यटन आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए भारतीयों के लिए द्विपक्षीय वीज़ा मुक्त पहुँच पर बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है।

भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता:

- एक पहलू यह है कि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के लिए लंबे समय से प्रतिबद्ध है, जिसका अर्थ है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में प्रभाव के सभी प्रमुख ध्रुवों को शामिल करना - जिसमें रूस भी शामिल है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नए खतरे: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

मामला क्या है?

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 दिसंबर, 2024 को कहा कि मानवाधिकारों पर अब तक की चर्चा "मानव एजेंसी" पर केंद्रित रही है, क्योंकि उल्लंघनकर्ता को मानव माना जाता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के हमारे जीवन में प्रवेश करने के साथ अब "अपराधी कोई गैर-मानव" भी हो सकता है।

- मानवाधिकार दिवस के अवसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि 'साइबर अपराध' और 'जलवायु परिवर्तन' मानवाधिकारों के लिए "नए खतरे" हैं।
- उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को *'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)'* की याद में मनाया जाता है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया और घोषित किया गया था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मानव अधिकार क्या होते हैं?

- मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमें सिर्फ़ इसलिए मिले हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं - ये किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते। ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी में निहित हैं, चाहे हमारी राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। ये सबसे बुनियादी अधिकार - जीवन के अधिकार - से लेकर उन अधिकारों तक हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार।

मानव अधिकार की प्रमुख विशेषताएं:

- मानव अधिकारों की 'सार्वभौमिकता का सिद्धांत' अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की आधारशिला है। इसका अर्थ यह है कि सभी को अपने मानवाधिकारों पर समान अधिकार प्राप्त हैं।
- मानवाधिकार अविभाज्य हैं। उन्हें विशेष परिस्थितियों और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जाना चाहिए।
- साथ ही सभी मानवाधिकार अन्योन्याश्रित होता हैं। इसका मतलब है कि अधिकारों के एक समूह का दूसरे के बिना पूरी तरह से आनंद नहीं लिया जा सकता।

- गैर-भेदभाव सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों में शामिल है। यह सिद्धांत सभी प्रमुख मानवाधिकार संधियों में मौजूद है।
- इस बीच, व्यक्तियों के रूप में, जबकि हम अपने मानवाधिकारों के हकदार हैं - लेकिन, हमें दूसरों के मानवाधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए और उनके लिए खड़ा होना चाहिए।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR):

- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) एक ऐसा दस्तावेज़ है जो स्वतंत्रता और समानता के लिए वैश्विक रोड मैप की तरह काम करता है - हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, हर जगह। यह पहली बार था जब देश उन स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर सहमत हुए जो हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्र, समान और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा के हकदार हैं।
- 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किए जाने वाले मौलिक मानवाधिकारों को निर्धारित करने वाला पहला कानूनी दस्तावेज़ था।
- इसके 30 अनुच्छेद वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकार सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनी साधनों के सिद्धांत और निर्माण खंड प्रदान करते हैं।

- UDHR, दो अनुबंधों - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध - के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक का निर्माण करता है।

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):

- भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित किया गया था। जिस क़ानून के तहत इसकी स्थापना की गई है, वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किया गया है।
- NHRC मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत की चिंता का प्रतीक है।
- यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसे अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था, और 20 दिसंबर, 1993 के अपने विनियम 48/134 द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा समर्थित किया गया था।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA) की धारा 2(1)(d) मानवाधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू की जा सकती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ

Q.1. चर्चा में रहे 'उपराष्ट्रपति' के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राज्य सभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते।
2. संसद के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति की ही तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a)

Q.2. हाल ही विपक्षी दलों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

(a) अनुच्छेद 64

(b) अनुच्छेद 67

(c) अनुच्छेद 89

(d) अनुच्छेद 92

Ans. (b)

Q.3. चर्चा में रहे 'भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंध' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को दिसंबर 2010 में "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़ा दिया गया।
2. रूस के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंध, भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भी महत्वपूर्ण।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.4. चर्चा में रहे 'मानव अधिकारों की प्रमुख विशेषताओं' के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता का सिद्धांत।

(b) मानवाधिकार अविभाज्य हैं।

(c) सभी मानवाधिकार अन्योन्याश्रित होते हैं।

(d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans. (d)

Q.5. चर्चा में रहे भारत के 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के संरक्षण की एक संवैधानिक संस्था है।
2. इसकी स्थापना 'पेरिस सिद्धांतों' के अनुरूप है।
3. यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक संस्था है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) सभी 1, 2 और 3

Ans. (b)